प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 22 अगस्त, 2025

विषयः- जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी आनन्द पाण्डेय उर्फ वीरेन्द्र पाण्डेय पुत्र श्री अमरनाथ पाण्डेय, निवासी जनपद-बस्ती की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-14762/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-31.03.2023, दिनांक 09.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी आनन्द पाण्डेय उर्फ वीरेन्द्र पाण्डेय पुत्र श्री अमरनाथ पाण्डेय, ग्राम-लक्ष्मनपुर, थाना-परशुरामपुर, जनपद-बस्ती का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 26.05.2010 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचा से फायर करके सुभाष नामक व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-11/2013 व 12/2013 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 व 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोट, प्रथम, बस्ती के आदेश दिनांक 23.05.2022 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनाक 01.01.2023 तक अपरिहार 08 वर्ष, 04 माह, 12 दिन तथा सपरिहार 08 वर्ष, 05 माह, 03 दिन की सजा काटी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती द्वारा बंदी का अपराध जघन्य अपराध की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराधिक कृत्य से इंकार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में सरेदस्त अशक्तता नहीं होने, परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक है सामाजिक रूप से दबंग प्रवृत्ति का है, जिससे समयपूर्व रिहाई उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति की आख्या में उल्लिखित किया गया है कि बन्दी की 39 वर्ष की आयु बन्दी द्वारा दिनांक 01.01.2023 तक अपरिहार 08 वर्ष, 04 माह 12 दिन तथा सपरिहार 08 वर्ष, 05 माह 03 दिन की भोगी गयी सजा तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की सस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी आनन्द पाण्डेय उर्फ वीरेन्द्र पाण्डेय (बन्दी संख्या-215/2022) पुत्र श्री अमरनाथ पाण्डेय, निवासी जनपद-बस्ती की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-1065/2025/2012(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती।

2- अधीक्षक, कि जिला कारागार, बस्ती।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।